छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

मुख्यालय, पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर जिला-रायपुर (छ.ग.)
Ph.No.-0771-2512141, Email Id:-ceocghb@gmail.com
Website:-www.cghb.gov.in

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

!! आदेश !!

क्रमांक –15.....
दिनांक 06/07/2020

विषयः–छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की समस्त योजनाओं रेरा नियमों के अनुरुप में पंजीयन एवं धरोहर राशि निर्धारित करने बाबत्।

---000---

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की स्ववित्तीय योजनांतर्गत पंजीयन राशि भवन मूल्य का 15 प्रतिशत पंजीयन के समय लिये जाने निर्धारित किया गया है। भवनों के निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् भवनों का विक्रय एकमुश्त या ऑफर के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार मण्डल के समस्त योजनाओं में पंजीयन/धरोहर राशि 15 प्रतिशत लिया जाकर भवनों/दुकानों का पंजीयन किया जाना प्रचलन में है। रेरा नियमों के अंतर्गत अधिकतम 10 प्रतिशत राशि भवनों के पंजीयन (बुकिंग) के लिए, ली जा सकती है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 64वॉ मण्डल सम्मिलन दिनांक 27.06.2020 के पद संख्या कमांक 14 पर पारित संकल्प कमांक 1828/14/64/06/2020 के द्वारा संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की समस्त योजनाओं रेरा नियमों के अनुरुप हितग्राहियों की सुविधा, रिक्त निर्मित अविक्रित संपत्तियों के विक्रय को प्रोत्साहित करने तथा भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2016 की धारा 13(1) के अनुसार समस्त योजनाओं में पंजीयन/धरोहर राशि अधिकतम 10 प्रतिशत निर्धारित किये जाने एवं ई.डब्ल्यू.एस. तथा एल.आई.जी. भवनों हेतु पूर्व में जारी निर्देशानुसार समस्त योजनाओं में पंजीयन राशि क्रमशः रु. 25000/– एवं रु. 50000/– निर्धारित करने अनुमति प्रदान करते हुए अन्य सभी प्रकार की कार्यवाही हेतु आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(आदेशानुसार)

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
पर्यावास भवन, नवा रायपुर
अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्र.1081/सं.प्र.शा./मु.सं.अ./मुख्या/एफ. /20 नवा रायपुर अटल नगर,दिनॉक06/07/2020

प्रतिलिपिः–

1. **स्टॉफ ऑफिसर, अध्यक्ष महोदय,** छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।

कमशः–02

2. **स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त महोदय,** छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
3. **मण्डल सचिवालय,** छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. **अपर आयुक्त,(जे/व्ही/पी),** छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. **उपायुक्त,** छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय/वृत्त—रायपुर/वृत्त—नवा रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर /अंबिकापुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. **मुख्य लेखा अधिकारी,** छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
7. **प्रशासकीय अधिकारी,** छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
8. **कार्यपालन अभियंता,** छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग—01,02,03,04,05 रायपुर/राजधानी परियोजना संभाग—01,02 नवा रायपुर/ दुर्ग/ राजनांदगांव/ कवर्धा/ बिलासपुर/ रायगढ़/ कोरबा/ अंबिकापुर /कोण्डागांव/ जगदलपुर/ धमतरी/महासमुन्द/कोरिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. **कार्यपालन अभियंता,** छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
10. **संपदा अधिकारी,** छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र—01,02, 03,04,05 रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/कवर्धा/बिलासपुर/रायगढ़/कोरबा/अंबिकापुर /कोण्डागांव/जगदलपुर/ धमतरी/महासमुन्द/कोरिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. **संपदा अधिकारी (प्रभारी),** छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ
12. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
पर्यावास भवन, नवा रायपुर
अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.)